बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

स0–3जी0(बजट–आयोग)–125–05/2010– 65

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचंन्द्र पटेल पथ, पटना

पटना, दिनांक– 22.12.16

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए अध्यक्ष, उपाघ्यक्ष, सदस्यों,पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थपना व्यय वहन हेतु वेतन में ₹104.76 लाख एवं वेतनादि के अलावा ₹100.00 लाख अर्थात कुल ₹204.76 लाख (दो करोड़ चार लाख छेहत्तर हजार रू0) मात्र सहायक अनुदान की निकासी की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत

स्वीकृत राशि गैर योजना अन्तर्गत बजट शीर्ष–''2225–अनुसचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–001–निदेशन एवं प्रशासन–0001–राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के प्राथमिक इकाई 3104–सहायक अनुदान–वेतन एवं 3106–सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा मांग सं0–44 विपत्र कोड N2225020010001 के अन्तर्गत विकलनीय है।

2– इस राशि की निकासी उप सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन से किया जायेगा तथा बैंक ड्राफट के माध्यम से एक मुश्त राशि सचिव राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग को उपलब्ध कराया जायेगा।

3– राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17–4–98 एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत/अनुदेश के आलोक में किया जायेगा।

4– व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस राशि का अलग से लेखा संधारण किया जायेगा एवं सरकार द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार व्यय लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा से करेंगे। विगत विर्षो के लंबित उपयोगिता–पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात ही स्वीकृत राशि का आबंटनादेश निर्गत किया जायेगा ।

5– इस प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति एवं विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है ।

6– इस प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

7– सचिव बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन दिनांक– 31–3–2017 तक अनिवार्य रुप से उपलब्ध करा देगें।

8– इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारियों को दी जा रही है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–3जी0(बजट–आयोग)–125–05/2010 65 पटना, दिनांक– 22.12.16

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (बजट) शाखा/ कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/उप सचिव अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदा0 बजट शाखा/लेखा शाखा (दोहरी प्रति में) सांख्यिकी शाखा, अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

22.12.16
सरकार के सचिव ।

Letter-Secretary